

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

(जी-3, राजगहल पैलेस रेजिडेंशियल एरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गौदाम जयपुर-302013)
(टेलीफोन-0141-2222403, ई-मेल-dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट www.lsgraj.org)

क्रमांक:-प.1ग()का/एसएमई-I/डीएलबी/2024/1705

दिनांक: 22.02.2024

--आदेश:-


राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 336 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नांकित कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम कार्मिक	पदनाम	कहाँ से	कहाँ को
1.	विनोद कन्डा	जमादार	वीकानेर (स्थानान्तरणधीन)	हनुमानगढ़
2.	हरि राम सैनी	जमादार	सावर	पावटा-प्रागपुरा
3.	पृथ्वी सिंह	सहायक कर्मचारी	भादरा	तारानगर
4.	अजय कुमार	सहायक कर्मचारी	श्रीगंगानगर	अलवर
5.	राम अनुज	सहायक कर्मचारी	अलवर	श्रीगंगानगर
6.	जगदीश चन्द्र	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	एपीओ निदेशालय	हनुमानगढ़
7.	साजिद खान	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	सिरोही हाल निदेशालय	अजमेर
8.	कृष्ण कुमार शर्मा	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	एपीओ निदेशालय	सूरजगढ़
9.	संजय कुमार मीना	सफाई कर्मचारी	जोधपुर (दक्षिण)	जयपुर ग्रेटर वार्ड नं. 120
10.	सत्यनारायण प्रजापत	सफाई कर्मचारी	जोधपुर उत्तर	राजसमन्द
11.	सुशीला देवी पत्नी स्व0 श्री सुरेश कुमार	सफाई कर्मचारी	जयपुर ग्रेटर मालवीय नगर जोन वार्ड नं. 150	जयपुर हैरिटेज किशनपोल जोन वार्ड नं. 70
12.	कोमल वाल्मिकी	सफाई कर्मचारी	मकराना	जयपुर ग्रेटर
13.	प्रेम देवी	सफाई कर्मचारी	अजमेर	जयपुर ग्रेटर
14.	महावीर/सत्यनारायण	सफाई कर्मचारी	इन्द्रगढ़	कोटा दक्षिण
15.	श्रीराम मीना पुत्र श्री ठण्डीराम मीना	सफाई कर्मचारी	जयपुर ग्रेटर वार्ड नं. 71 मानसरोवर	जयपुर ग्रेटर वार्ड नं. 150 मालवीय नगर जोन

उपर्युक्त कार्मिकों को आगामी वेतन नवपदस्थापित निकाय से देय होगा।

नोट:-


- स्थानान्तरित कर्मचारी के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करावे अन्यथा आपकी व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।
- स्थानान्तरित कर्मचारी का सेवाभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हे वेतन भत्ते का भुगतान किया जावे।
- यदि कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी/सविदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करावे।
- यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त/किसी अन्य कारणो से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे।
- रिक्त पद होने पर ही सम्बन्धित कर्मचारी को ज्वाइन करावे।
- कार्मिक को अपने मूल पद पर ही कार्यग्रहण करावे एवं सफाई कर्मचारी से मूल पद का ही कार्य करवाया जावे।
- माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश होने पर उक्त स्थानान्तरण लागू नहीं होंगे।


(सुरेश कुमार शीला)
निदेशक एवं नियुक्त सचिव

क्रमांक:-प.1ग()का/एसएमई-I/डीएलबी/2024/1706-1744 दिनांक: 22.02.2024

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक एवं सयुक्त सचिव महोदय, स्वा.शा. विभाग राज. जयपुर।
4. उप निदेशक (क्षेत्रिय) स्थानीय निकाय विभाग.....।
5. महापौर/सभापति/अध्यक्ष/आयुक्त/अधिशोषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका.....।
6. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, आई. टी. अनुभाग, निदेशालय को लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय साईट पर अपलोड की कार्यवाही करें।
7. संवधित कर्मचारी श्री/श्रीमती।
8. सुरक्षित पत्रावली।


(चांद मल वरमा).
अतिरिक्त निदेशक